SEMESTER - 3

CC- 11

South Asia 1950 Onwards

- **इंडियन डायस्पोरा , पार्ट-4**

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्रकुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहासविभाग

पटनाविश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रानंदन

अतिथिशिक्षक, इतिहासविभाग

पटनाविश्वविद्यालय, पटना

संपर्क :08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

<u>भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रति विदेश नीति</u>

भारत सरकार की प्रवासी भारतीयों के लिए बनायी गयी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं जिसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्रवासी भारतीयों को भारत की तरफ पुनः आकर्षित किया जाए तथा उनको भारत से पुनः जोड़ा जाए।

जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वे भारत की ओर वापस लौट आएगें तथा यहां आकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगें। यहां पर अपने पैसो का निवेश करेंगे जिससे भारत को पूँजी प्राप्त होगी और विकास में मदद मिलेगी एवं रोजगार का सृजन होगा।

जब भारतीय लोग दूसरे देशों को चले जाते है तो काफी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सरकार द्वारा उस पर काफी पैसा खर्च करते है जैसे–आई आई टी, आई आई एम एवं ए आई आई एम एस में पढ़ने वाले विद्यार्थी विदेशों में अच्छा पैकेज मिलने के कारण चले जाते हैं जिससे देश को उनके अनुभव से वंचित रहना पड़ता है और वे दूसरे देशों को अपनी सेवा दे रहे होते हैं और उस देश के विकास में योगदान कर रहे होते हैं।

प्रवासी भारतीयों को भारत के प्रति आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ नीतियां बनायी गयी हैं जो कि विविध कर्यिक्रमों के माध्यम से लागू की जा रही है–

1. प्रवासी भारतीय युवा क्लब–यह प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की विदेश स्थित भारतीय पोस्ट या मिशन के माध्यम से 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के भारतीय प्रवासी लोगों को जोड़ने की योजना है। प्रवासी भारतीय युवा क्लब, युवा प्रवासी भारतीयों, छात्रों एवं व्यवसायियों को भारत में निचले स्तर पर उनके कार्य को सुगम बनाने के लिए तथा उन्हें भारत से जोड़ने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशन में एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है

तथा इसमें वही भारतीयों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने एक कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत घूमने की सुविधा प्राप्त की है।

2. डायसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति– डायसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसे भारत अध्ययन कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय मिशनअन्य प्रवासी युवाओं तक पहुँचेंगे। अभी प्रारम्भ में यह योजना उन्ही मिशनों में शुरू की गयी है जब से भारत जानों कार्यक्रम में अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया है।

भारत जानों कार्यक्रम के अन्तर्गत समुद्रपारीय भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला 3 सप्ताह का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 18–26 वर्ष के प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही तरक्की से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रवासी भारतीय युवाओं का चयन विदेशों में स्थित भारतीय मिशानों के द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं–

1. देश के विविध क्षेत्रों में हो रहे विकास से प्रवासी भारतीय युवाओं कोअवगत कराना।
2. विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों आदि के शिक्षकों तथा छात्रों के साथ प्रवासी भारतीय युवाओं का विचार विमर्श कराना।
3. भारतीय ग्रामीण दशाओं से अवगत कराने हेतु ग्रामीण पर्यटन को विकासित करना।
4. भारतीय मीडिया को प्रदार्शित करना।
5. सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करना।
6. समाज कल्याण में हिस्सेदारी सुनीश्चित करना।

3. भारत अध्ययन कार्यक्रम- भारत अध्ययन कार्यक्रम के अन्तर्गत 18-26 वर्ष के प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए समुद्रपारीय भारतीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसकेअन्तर्गत प्रवासी भारतीयों को भारत की संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्थाआदि से परीचितकराना है। यह कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन स्कूल, कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है।

4.अपनी जड़ों को जानों कार्यक्रम- अपनी जड़ों को जानों कार्यक्रम की शुरूआत 2008 में समुद्रपारीय भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को अपनी पूर्वजों के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी भारतीय मूल का निवासी 30000 रुपया में नामांकन करा सकता है। तत्पश्चात भारत सरकार उसे अपने पूर्वजों की जन्मभूमि आदि खोजने में मदद उपलब्ध कराती है।

5. भारतीय समुदाय कल्याण कोष-भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों को मदद उपलब्ध कराया जाता है। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्यों विदेशों में रह रहे मजदूरों, नर्सो इत्यादि को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।

6. भारतीय सुविधा केन्द्र- भारतीय सुविधा केन्द्र के माध्यम से भारतीय उद्योग संघ एवं भारतीय मंत्रालय (समुद्रपारीय) ने भारत में प्रवासी भारतीयों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है। यह निम्न सुविधाएँ प्रदान करता है-

(क) भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रवासी भारतीयों को सलाह एवं परामर्श देना।

(ख) प्रवासी भारतीयों को व्यापारिक साझेदार बनाने के लिए प्रोत्साहन देना।

(ग) भारत में हो रही आर्थिक तरक्की से भारतीय प्रवासियों को अवगत कराकर उन्हें विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए तैयार करना।

7.प्रवासियों के लिए पेंशन योजना एवं बीमा योजना शुरू की गयी है जिससे वे यहाँ आकर अच्छा जीवन बिता सके। विदेशों में काम करने वाले वृद्धों के लिए पेंशन योजना बनायी गयी है।

8. मताधिकार का प्रयोग करने के सन्दर्भ– मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अधिसूचना जारी गयी है।

9.राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गललोत द्वारा 'राजस्थान को जानो' कार्यक्रम की शुरूआत की गयी जिसके अन्तर्गत राजस्थान भ्रमण पर आने वाले प्रवासी भारतीयों को किराये पर 90 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा वहन करने की बात कही गयी।

इसके अलावा हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य 110 देंशों में रह रहे 2 करोड़ लोगों को भारत से जोडना है। साथ ही इसमें भारतीय प्रवासियों को उनके योगदान के लिए 'प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान' दिया जाता है।

अतः सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत से जोड़ने का कार्यक्रम गृह एवं वैदेशिक नीति के तहत किया जा रहा है।